

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 16,
No. 16]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 21, 2001/वैशाख 1, 1923
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 21, 2001/VAISAKHA 1, 1923

इस भाग में विगत पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन
के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संच राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि
के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सौविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, By-laws etc. of a general character) issued by the
Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the
Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कृषि मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2001

सा का नि 220 —राष्ट्रपति सविधान के अनुच्छेद 309
के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए कृषि
मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, दिल्ली दुग्ध योजना,
नई दिल्ली, डेरी इजीनियर, समूह “क” पद भर्ती नियम,
1994 का संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम
बनाने हैं, अर्थात् —

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों को
कृषि मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, दिल्ली दुग्ध
योजना, नई दिल्ली, डेयरी इजीनियर, समूह “क” पद,
भर्ती (संशोधन) नियम, 2001 कहा जायेगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 दिल्ली दुग्ध योजना डेरी इजीनियर भर्ती नियम,
1994 की अनुसूची में,—

(क) स्तम्भ-4 और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के
स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् —
“10000-325-15290 रु.”

(ख) स्तम्भ-5 और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के स्थान
पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् —
“वयन-सह-उत्प्रेषता”

(ग) स्तम्भ 12 और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के स्थान
पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् —

(1) “प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण” शब्दों के,
स्थान पर “प्रतिनियुक्ति” शब्द रखा जायेगा;

(2) पैरा (क) (ii) में “2200-4000 रु.” अकों
और शब्दों के स्थान पर “8000-13500 रु.”
अक और शब्द रखे जायेंगे।

- (3) पैरा (क) (iii) से “2000-3500 रु.” अको और अक्षरों के स्थान पर “6500-10500 रु.” अक और अक्षर रखे जायेंगे।
- (घ) अनुसूची में स्तंभ 13 के नीचे टिप्पण को हटा दिया जायेगा।

[पत्र स. 3-39/99-प्रशासन-IV]

एच. के. जगोटा, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल भर्ती नियम सा.का.नि. 430 तारीख 20-8-1994 के अधीन प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना स. 3-25/92-एल.डी.-1 तारीख 20-7-1994 द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

New Delhi, the 15th March, 2001

G.S.R. 220.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry and Dairying Delhi Milk Scheme, New Delhi, Dairy Engineer, Group 'A' posts, Recruitment Rules, 1994, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture Department of Animal Husbandry and Dairying, Delhi Milk Scheme, New Delhi, Dairy Engineer, Group 'A' Posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2001.

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2001

सा.का.नि. 221.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और साधारण केन्द्रीय सेवा श्रेणी-3 और श्रेणी-4 (अतिरिक्त) पद (दिल्ली दुग्ध योजना, नई दिल्ली) भर्ती नियम, 1964 को उक्त बातों के सिवाय संशोधित करने हुये जिन्हें ऐसे अधिकरण में पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है वृत्ति मंत्रालय में पशुपालन और डेरी विभाग के अधीन दिल्ली दुग्ध स्कीम में मेट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली दुग्ध स्कीम मेट भर्ती नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) में स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) में स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule of the Delhi Milk Scheme Dairy Engineer Recruitment Rules, 1994,—

(a) for column 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—
“Rs. 10,000-325-15,200.”

(b) for column 5 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—
“Selection-cum-Seniority.”

(c) for column 12 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(1) for the words “Transfer on deputation”, the word “Deputation” shall be substituted;

(2) in para (a) (ii) for the letters and figures “Rs. 2200-4000”, the letters and figures “Rs. 8000-13,500”; shall be substituted.

(3) in para (a) (iii) for the letters and figures “Rs. 2000-3500”; the letters and figures “Rs. 6500-10,500”, shall be substituted.

(d) The NOTE below column 13 of the Schedule shall be deleted.

[F. No. 3-39/99-Admin. IV]

H. K. JAGOTA, Under Secy.

Foot-Note :—The Principal Recruitment Rules were published vide this Department's Notification No. 3-25/92-LD.I dated 20-7-1994 published under GSR No. 430 dated 20-8-1994.

5. शिथिल करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ यह उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
मेट	736* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" अराजभूत	2650-65-3300-70-4000 रु.
चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सचिव सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम, 30 के अखीन अनुज्ञेय है या नहीं	
5	6	7	
अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये शिथिल की जा सकती है।)	लागू नहीं होता	
सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिरीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
8	9	10	
1. मिडिल विद्यालय स्तर उत्तीर्ण।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	
2. अच्छा स्वास्थ्य हो और शारीरिक कार्य जैसे कि, बुग्घ धानों में बोने-रो, फेड्स और फेनों की लदाई-उतराई, बुग्घ धानों/फेनों की धुलाई।			
3. भूतपूर्व सैनिक को वरीयता दी जायेगी।			
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अभिलेख द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अभिलेख द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अभिलेख किया जायेगा		

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा

13

14

सूह "ब" विभागीय प्रोन्नति समिति (स्वायत्तकरण के लिये)

लागू नहीं होता

1. उप महाप्रबंधक (प्रशासन) दिल्ली दुग्ध स्कीम—अध्यक्ष
2. कार्मिक अधिकारी, दिल्ली दुग्ध स्कीम—सदस्य
3. प्रशासनिक अधिकारी (स्थापना) दिल्ली दुग्ध स्कीम—सदस्य
4. एक सहयोजित सदस्य—सदस्य

[फाइल संख्या 3-1/2000-प्रशासन-IV]

एच. के. जगोटा, अवसर सचिव

New Delhi, the 23rd March, 2001

G.S.R. 111.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in supersession of the General Central Services, Class III and Class IV (Additional) posts (Delhi Milk Scheme, New Delhi), Recruitment Rules, 1964, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Mate in the Delhi Milk Scheme under the Department of Animal Husbandry and Dairying in the Ministry of Agriculture, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Milk Scheme, Mate Recruitment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay – The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order or reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving —Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)
Mate	736* (2001)	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted.	Rs. 2650-65-3300-70-4000.
	* Subject to variation dependent on workload.		

Whether selection-cum-seniority or selection by merit or Non-Selection	Age-limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	
(5)	(6)	(7)	
Non-Selection.	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).	Not applicable.	
Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by absorption and percentage of posts to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
1. Middle School standard pass.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.
2. Must have good physique and be prepared to do manual work such as loading and unloading of Bottles, Crates and Cans in Milk Vans, washing and cleaning of Milk Van/Cans etc.			
3. Ex-serviceman would be preferred.			
In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	
(12)	(13)	(14)	
Not applicable.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation) : 1. Deputy General Manager (Administration), Delhi Milk Scheme —Chairman 2. Personnel Officer, Delhi Milk Scheme —Member 3. Administrative Officer (Establishment), Delhi Milk Scheme —Member 4. A Co-opted Member —Member	Not applicable.	

शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2001

सा.का.नि. 222.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 19 सितम्बर, 1981 में प्रकाशित निर्माण और आवास मंत्रालय ज्येष्ठ विश्लेषक 'कार्य अध्ययन' कनिष्ठ विश्लेषक 'कार्य अध्ययन' और अनुसंधान सहायक 'कार्य अध्ययन', भर्ती नियम 1981 की उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अनुसंधान सहायक 'कार्य अध्ययन' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय अनुसंधान सहायक 'कार्य अध्ययन' भर्ती नियम, 2001 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वही होगा, जो इससे नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति—

1. जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

2. जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये में)
1	2	3	4
अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) 10* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।		साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ख अराजपत्रित अननुसन्धीय	5500-175-9000

चयन सह ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा

सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं

5

6

7

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि को हो

8

9

10

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायेगा

11

12

प्रतिनियुक्ति

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी

1. जो नियमित आधार पर मद्रास पद धारण किये हुये हैं, या
2. जिन्होंने 5000-8000 रुपये के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, या
3. जिन्होंने 4500-7000 रुपये के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर छह वर्ष नियमित सेवा की है, या
4. जिन्होंने 4000-6000 के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर दस वर्ष नियमित सेवा की है, और

- ख. 1. जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य है; और
2. जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान का बुनियादी प्रबंध सेवा पाठ्यक्रम या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान से समतुल्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है या जिनके पास कार्य अध्ययन/संगठन और पद्धति/विश्लेषणात्मक/सांख्यिकीय/संक्रिया अनुसंधान या अन्य प्रबंध अनुसंधान तकनीकी के उपयोजन में एक वर्ष का अनुभव है।

प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल कार्मिकों के लिये :

सशस्त्र बल के कनिष्ठ कमीशंड ऑफिसर की या समतुल्य पंक्ति के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जायेगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किये जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जायेगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है। तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

यदि विभागीय प्रोत्तन है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन्हीं परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा

13

14

जागू नहीं होता

जब अन्य व्यक्तियों के साथ सशस्त्र बल का कोई कार्मिक प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन के लिये चयन के क्षेत्र में हो तब संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[पत्र संख्या ए-12018/2/98-प्र.-IV]

एन. नमोशिवयम, उप सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION

New Delhi, the 22nd March, 2001

G.S.R. 222.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Works and Housing Senior Analyst (Works Study), Junior Analyst (Work Study) and Research Assistant (Work Study) Recruitment Rules, 1981 published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-Section (i) dt. the 19th September, 1981, insofar as they relate to the post of Research Assistant (Work Study) except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Assistant (Work Study) in the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, namely:—

1. Short title and commencement:—(i) These rules may be called the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation Research Assistant (Work Study) Recruitment Rules, 2001.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age

limit, qualifications, and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification:—No person,—

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or,
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving:—Nothing in these rules shall affect reservations/relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay (Rupees)	Whether selection cum seniority or selection by merit
1	2	3	4	5
Research Assistant (Work Study)	10* (2001) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial	5500-175-9000	Not applicable

Age limit for direct recruits	Whether benefits of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension), Rules, 1972	Educational and other qualifications prescribed for direct recruits
6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10	11
Not applicable	Not applicable	Deputation
In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13	14
Deputation: Officers under the Central Government:— (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 3 years regular service in posts in the scale of Rs. 5000-8000 or equivalent; or (iii) with 6 years regular service in posts in the scale of Rs. 4500-7000 or equivalent; or (iv) with 10 years regular service in posts in the scale of Rs. 4000-6000 or equivalent; and (b) (i) possessing degree of a recognised University or equivalent; and (ii) completed successfully the Basic Management Services Course of Institute of Secretariat Training and Management or equivalent training from any other recognised Institution or have at least one year's experience in the application of Works Study/Organisation and Methods/Analytical/Statistical/Operations Research or other management research techniques.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary when an armed forces personnel among others is in the field of selection for deputation/re-employment
Deputation/re-employment (for armed forces personnel); The armed forces personnel of the rank of Junior Commissioned Officer or equivalent due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualifications and experience prescribed shall		

also be considered. Such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment terms.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the case of some other organisation Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.)

[F No A-12018 2/98-Adm IV]

N. NAMASIVAYAM, Dy. Secy.

(शहरी विकास विभाग)

नई दिल्ली, 3 अप्रैल 2001

सा.पा.वि. 223 —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय कोलकाता में कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास और शहरी उन्मूलन भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय (कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक) का वि.सं. 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद-समस्या, वर्गीकरण और वेतनमान (1) उक्त पद समस्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इससे नियमों के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में निर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य शर्तें (1) पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, उम्र से संबंधित अन्य बातें जो उक्त अनुच्छेद 309 के परन्तुक में निर्दिष्ट हैं।

1. आरम्भ (1) ऐसे अधिकारियों जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को शहरी विकास और शहरी उन्मूलन भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय में कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं उक्त आरम्भिक गठन पर काम पर तत्पक्ष किए गए समझे जाएंगे।

(2) इन नियमों के प्रारम्भ पर उपनिर्देश (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों को नियमित विरतन सेवा को परीक्षा अवधि पूर्ण और सेवा के दिनों के अंत में सेवा के प्रयोग के लिए विचार में लिया जाएगा।

4. निरर्हता यह ध्येय —

(क) जिसमें ऐसे व्यक्ति हैं जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ग) जिसका अर्थ पति या पत्नी जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

तब तब तक नियमित का पात्र नहीं होगा।

अतः यदि केन्द्रिय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार का लागू करने से अवरोधक है और ऐसा करने के लिए अन्य आचार्य हैं तो वह किसी व्यक्ति का इस नियमों के प्रवर्तन से छूट

6. शिथिल करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यापृति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रीययों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
कनिष्ठ अनुवाहक	2* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ब" राजपत्रित अनुसूचिवीय	4500-125-7000 रु.
चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सीजे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय निश्चित सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के प्रवीन अनुश्रेयश्य नहीं	
5	6	7	
लागू नहीं होता	25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए शिथिल करके साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 35 वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक की जा सकती है।)	नहीं	
टिप्पणी :			
1. आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख-खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के दांगी उपखंड, अरुणाचल और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।			
2. रोजगार कार्यालयों में आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों में लागू भेजने के लिए कहा गया है।			

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अभ्यक्षित शैक्षिक और अनुभव अर्हताएं सोचे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के परिशीक्षा की अवधि यदि कोई हो लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रवेशन व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं

8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री स्तर पर हिन्दी/अंग्रेजी एक मुख्य विषय के रूप में रहा हो, या डिग्री स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री जिसमें हिन्दी शिक्षा और परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो। या हिन्दी और अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम और दूसरा मुख्य विषय के साथ स्नातक डिग्री साथ ही हिन्दी में अंग्रेजी तथा अंग्रेजी में हिन्दी में अनुवाद पाठ्यक्रम का कोई मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी है हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	2 वर्ष
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होंगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनिधुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनिधुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनिधुक्ति/आमेलन किया जाएगा	
11	12	
सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनिधुक्ति/आमेलन द्वारा।	प्रतिनिधुक्ति/आमेलन : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी में से— (क) (i) जो सदृश पद धारण किए हुए है, या (ii) जो 4000-6000/3650-4590 रु. या समतुल्य के वेतनमान वाले पद धारण किए हुए हैं और जिनमें उच्च श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 के अधीन विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं। प्रतिनिधुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनिधुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-12018/2/99-एस टी वाद]

प्रधान सुन्दर, प्रवर सचिव

(Department of Urban Development)

New Delhi, the 3rd April, 2001

G.S.R. 223.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Hindi Translator in the Government of India Stationery Office, Kolkata, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Government of India Stationery Office (Junior Hindi Translator) Recruitment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classifications and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Initial Constitution.—(1) The officers holding the post of Junior Hindi Translator in the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Government of India Stationery Office on regular basis on the date of commencement of these rules shall be

deemed to have been appointed at the initial constitution stage to the said post.

(2) The regular continuous service of officer mentioned in sub-rule (1) prior to the commencement of these rules shall count for the purpose of probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

5. Disqualification:—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power of relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
Junior Hindi Translator	*2 (2000) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4500-125-7000

Whether selection cum-seniority or selection by merit or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under the rule 30 of the CCS (Pension) Rules	Age limit for direct recruits
5	6	7
Not applicable	No	25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in case of general candidates and upto 40 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Island or the Union Territory of Lakshadweep). Note 2. The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
8	9	10
Master's degree of a recognised University in Hindi/English, with English/Hindi as a main subject at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject with Hindi as the medium of instructions and examination with English as a compulsory subject at degree level; or Bachelor's degree with Hindi and English as main subjects or either of the two as medium of examination and the other as a main subject plus recognised Diploma/Certificate Course in translation from Hindi to English and vice-versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central/State Government Offices, including Government of India Undertakings.	Not applicable	2 years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made

11	12
By direct recruitment or by deputation/absorption.	Deputation/absorption: From amongst Central Government Officers: (a)(i) holding analogous posts; or (ii) posts in the pay scale of Rs. 4000-6000/3050-4590 or equivalent with 8 years regular service in the grade and (b) possessing educational and other qualifications prescribed for direct recruitment under column 8. (Period of deputation ordinarily not exceeding three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications)
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Not applicable	Not applicable

[File No. A-12018/2/99-Sty]

SHYAM SUNDER, Under Secy.

डाक विभाग
(डाक लेखा विंग)

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2001

मा.का.नि. 224—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सचिव डाक लेखा कार्यालय (कनिष्ठ लेखाकार, आशुलिपिक, अवर श्रेणी लिपिक और छंटाईकार) भर्ती नियम 1985 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकांश से पहले किया गया था या करने से लोप किया गया है, डाक विभाग के सचिव डाक लेखा कार्यालयों में कनिष्ठ लेखाकार, आशुलिपिकों, अवर श्रेणी लिपिक और छंटाईकारों के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सचिव डाक लेखा कार्यालय (कनिष्ठ लेखाकार, आशुलिपिक, अवर श्रेणी लिपिक और छंटाईकार) भर्ती नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परोक्षता : ये नियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के कालम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतनमान वही होंगे जो उक्त अनुसूची के कालम (2) में (4) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यताएं आदि :—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उनसे संबद्ध अन्य मामले वही होंगे जो पूर्वोक्त अनुसूची के कालम (5) से (14) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

5 अनर्हता वह व्यक्ति—

(क) जिम्मे ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, अथवा उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अन्तर्गत अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस विधिम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6 शिथिल करने की शक्ति जहाँ केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7 व्याप्ति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य गिरायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सबध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
1 कनिष्ठ लेखाकार	1102* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, सूट्ट 'ग' अराजकलिन अनुसूचिवीय	4000-100-6000 रु.
चयन-सह वरिष्ठता अथवा योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	केन्द्रीय सविल सेवा (पेशन) नियमावली 1972 के अन्तर्गत सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुज्ञेय है अथवा नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	
5	6	7	
लागू नहीं होता	नहीं	18 और 27 वर्ष के बीच (विभागीय उम्मीदवारों के लिए 35 वर्ष तक छूट दी जा सकती है)। टिप्पणी. आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित तारीख होगी।	
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोबल व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि	
8	9	10	
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि	नहीं	2 वर्ष	

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जानी है

11

12

- (क) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 40 %
 (ख) डाक लेखा कार्यालयों (मुख्यालयों के कार्यालय सहित) के अवर श्रेणी लिपिकों द्वारा विभागीय अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उनकी प्रोन्नति द्वारा 35 %
 (ग) जो अवर श्रेणी लिपिक मैट्रिकुलेशन की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखते हैं उनकी वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा 25 %

- (क) विभागीय परीक्षा द्वारा प्रोन्नति :
 अवर श्रेणी लिपिकों के महानिदेशक, डाक विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर।
 (ख) वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति :
 ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जो मैट्रिकुलेशन की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखने के साथ-साथ निष्पत्ति के बाद नियमित आधार पर उन्हें प्रदान किए गए ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों।

टिप्पणी :

- जब ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो जो पात्रता की अवधि पूरी कर चुके हैं तब उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्रता की सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता की सेवा के आधे से अधिक अवधि की सेवा अथवा दो वर्ष, इनमें जो कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपनी परीक्षा सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।
- अवर श्रेणी लिपिक की कनिष्ठ लेखाकार के बतौर प्रोन्नति पर केवल उनके द्वारा निर्धारित टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने अथवा इसे उत्तीर्ण करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में उन्हें इससे छूट प्रदान किए जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

यदि विभागीय प्रोन्नति भर्ति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

- (1) डाक लेखा कार्यालय के प्रमुख —अध्यक्ष
 (2) प्रशासन के प्रभारी अधिकारी —सदस्य
 (3) कार्यालय प्रमुख द्वारा नामित किया जाने वाला एक वरिष्ठ अधिकारी —सदस्य

लागू नहीं होता

1

2

3

4

2. आशुलिपिक (ग्रेड-2)

19*
(2001)

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "ग"
अराजपत्रित अनुसूचिणीय

5000-150-8000 रु.

5	6	7	
अवयव	नहीं	लागू नहीं होता	
8	9	10	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष	
11	12		
100 % प्रोन्नति द्वारा	सकिल डाक लेखा कार्यालयों के ग्रेड (3) के उन आश- लिपिकों में से जिन्होंने ग्रेड में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है।		
13	14		
(1) डाक लेखा कार्यालय प्रमुख —अध्यक्ष	लागू नहीं होता		
(2) प्रशासन के प्रभारी अधिकारी —सदस्य			
(3) कार्यालय प्रमुख द्वारा नामित किया जाने वाला एक वरिष्ठ अधिकारी —सदस्य			
1	2	3	4
3 आशुलिपिक (ग्रेड-3)	18* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अग्रजपवित अनुसूचिकीय	4000-100-6000 रु
5	6	7	
लागू नहीं होता	नहीं	18 और 27 वर्ष के बीच (विभागीय उम्मीदवारों के लिए 35 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है) टिप्पणी. आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित तारीख होगी।	
8	9	10	
मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष तथा आशुलिपि में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति और टाइपिंग में न्यूनतम 40 शब्द प्रतिमिनट की गति	लागू नहीं होता	2 वर्ष	

11

12

कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 100% सीधी भर्ती द्वारा

लागू नहीं होता

13

14

केवल स्थायीकरण हेतु

लागू नहीं होता

- (1) डाक लेखा कार्यालय के प्रमुख ——अध्यक्ष
 (2) प्रशासन के प्रभारी अधिकारी ——सदस्य
 (3) कार्यालय प्रमुख द्वारा नामित किया जाने वाला एक वरिष्ठ अधिकारी ——सदस्य

1

2

3

4

अवर श्रेणी लिपिक

1943*
(2001)सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "ग"
अराजपत्रित अनुसूचितीय

3050-75-3950-80-4590 रु.

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन
किया जा सकता है।

5

6

7

लागू नहीं होता

नहीं

18 और 27 वर्ष के बीच (विभागीय
उम्मीदवारों के लिए 35 वर्ष तक
छूट दी जा सकती है)।

टिप्पणी:

आयुसीमा अवधारित करने के लिए
निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन
आयोग द्वारा विज्ञापित तारीख
होगी।

(8)

(9)

(10)

रेडिकुलेशन अथवा समकक्ष और अग्रेजी टाइप-राइटिंग में
न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अथवा
हिंदी टाइप-राइटिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति

नहीं

2 वर्ष

(11)

(12)

- (क) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 50%
 (ख) विनिर्दिष्ट विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोन्नति द्वारा :
 (1) छंटाईकार—10%
 (2) समूह "घ" कर्मचारी—5%

प्रोन्नति :

- (क) विभागीय परीक्षा :—छंटाईकारों और समूह "घ" कर्म-
 चारियों के लिये महानिदेशक (डाक) द्वारा विनिर्दिष्ट
 विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर

11

- (ग) मैट्रिकुलेट छांटकारों और मैट्रिकुलेट समूह 'अ' कर्मचारियों के लिये सीमित प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोन्नति द्वारा—5%
- (घ) वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा—30%

12

- (ख) वरिष्ठता-सह-योग्यता आधार पर :—
ऐसे छांटकार जिन्होंने नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर उन्हें प्रदान किये गये ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा कर ली हो और जो 8वीं स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों।

टिप्पणी : 1. जब ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो जो पात्रता की अवधि पूरी कर चुके हैं तब उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जायेगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता की सेवा के आधे से अधिक अवधि की सेवा अथवा दो वर्ष इनमें जो कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपनी परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पणी : 2—

वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नत किये गये विभागीय उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित टाइपिंग परीक्षा—अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अथवा हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की जानी चाहिये।

(13)

- (1) डाक लेखा कार्यालय के प्रमुख—अध्यक्ष
- (2) प्रशासन के प्रभारी अधिकारी—सदस्य
- (3) कार्यालय प्रमुख द्वारा नामित किया जाने वाला एक वरिष्ठ अधिकारी—सदस्य

(14)

लाग नहीं होता

(1)

(2)

(3)

(4)

5. छांटकार	592(*) (2001) (*) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपक्षित अनुसूचित	2750-70-3800-75- 4400 रु.
------------	--	--	------------------------------

(5)

(6)

(7)

लाग नहीं होता

नहीं

18 और 27 वर्ष के बीच (विभागीय उम्मीदवारों के मामले में 35 वर्ष तक छूट दी जा सकती है)

टिप्पणी : आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिब्बोजन, जम्मू एवं कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले की पांगी सब-डिवीजन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के लिये अवधारित अंतिम तारीख होगी)। रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किये जाने के मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय में नाम भेजने के लिये कहा गया है।

(8)	(9)	(10)
मैट्रिकुलेशन अथवा उसके समतुल्य स्तर तक की पढ़ाई की हो।	लागू नहीं होना	2 वर्ष
(11)	(12)	
(क) सीधी भर्ती द्वारा—50% (ख) समूह "ब" कर्मचारियों के विनिर्दिष्ट विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उनकी प्रोन्नति द्वारा—20% (ग) समूह "घ" कर्मचारियों की वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा—25% (घ) मैट्रिकुलेट समूह "घ" कर्मचारियों की वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा—5%	(क) समूह "ब" कर्मचारियों के महानिदेशक (डाक) द्वारा विनिर्दिष्ट विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विभागीय परीक्षा द्वारा प्रोन्नति। (ख) वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति :— ऐसे समूह "घ" कर्मचारी जिन्होंने नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर उन्हें प्रदान किये गये ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा कर ली हो और 8वीं के स्तर तक पढ़ाई कर चुके हों। टिप्पणी :—जब ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो जो पात्रता को अवधि पूरी कर चुके हों तब उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जायेगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता की सेवा के आधे से अधिक अवधि की सेवा अथवा दो वर्ष, इनमें जो कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपनी परिवीक्षा पूरी कर ली हो।	
(13)	(14)	
(1) डाक लेखा कार्यालय के प्रमुख—अध्यक्ष (2) प्रशासन के प्रभारी अधिकारी—सदस्य (3) कार्यालय प्रमुख द्वारा नामित किया जाने वाला एक वरिष्ठ अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता।	

[स. 1(1)/2001-पी ए प्रशासन-1]

एस.सी. अग्रवाल, सहायक महानिदेशक (डाक लेखा-प्रशासन)

DEPARTMENT OF POSTS

(Postal Accounts Wing)

New Delhi, the 9th April, 2001

G.S.R. 224.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Circle Postal Accounts Offices (Junior Accountants, Stenographers Lower Division Clerks and Sorters), Recruitment Rules, 1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Junior Accountants, Stenographers, Lower Division Clerks and Sorters, in the

Circle Postal Accounts Offices of the Department of Posts, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Circle Postal Accounts Offices (Junior Accountant, Stenographer, Lower Division Clerk and Sorter) Recruitment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application:—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed hereto.

3. Number of posts, classification, scales of pay.—The number of said posts, their classification, and

the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification:—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the

personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for the reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Junior Accountant	1102 (*) (2001) (*) Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 4000-100-6000
Whether selection-cum-seniority or selection by merit or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	
(5)	(6)	(7)	
Not applicable	No	Between 18 and 27 years (Relaxable upto 35 years for departmental candidates). Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	
Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
Bachelor's degree from a recognised University.	No	2 years	(a) By direct recruitment through Staff Selection Commission -40%.

- (b) By promotion of Lower Division Clerks of the Postal Accounts Offices (including Headquarters Office) on passing departmental qualifying examination—35%.
- (c) By promotion of Lower Division Clerks possessing minimum educational qualification of Matriculation on Seniority-cum-fitness basis—25%.

Grades from which recruitment by promotion/absorption/deputation/short term contract/re-employment is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)	(14)
(a) Promotion by Departmental examination : Lower Division Clerks on passing the departmental examination specified by the Director General, Department of Posts.	(1) Head of the Postal Accounts Office —Chairman. (2) Officer Incharge of Administration —Member	Not applicable.
(b) Promotion on the basis of seniority-cum-fitness : Lower Division Clerks possessing minimum educational qualification of Matriculation with 5 years' of service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.	(3) One Senior Officer to be nominated by the Head of Office —Member.	
Note 1 : When juniors who have completed the eligibility period are considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation. Note 2 : Lower Division Clerks can be considered for promotion as Junior Accountant only after they have passed prescribed typing test or they have been exempted in accordance with the prescribed procedure for passing it.		

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Stenographer (Grade II)	19 (*) (2001) (*) Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 5000-150-8000

5	6	7	
Non-Selection	No	Not applicable	
8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	2 years	100% by promotion
12	13	14	
From amongst Stenographers Grade (III) of the Circle Postal Accounts Offices who have put in not less than 5 years of regular service in the grade.	(1) Head of the Postal Accounts Office —Chairman. (2) Officer-in-Charge of Administration —Member. (3) One Senior Officer to be nominated by Head of the Office —Member.	Not applicable.	
1	2	3	4
3. Stenographer (Grade III).	18 (*) (2001) (*) Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 4000-100-6000
5	6	7	
Not applicable	No	Between 18 and 27 years (Relaxable upto 35 years for departmental candidates). Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	
8	9	10	11
Matriculation or equivalent with a minimum speed of 80 words per minute in shorthand and 40 words per minute in typewriting.	Not applicable	2 years	100% by direct recruitment through Staff Selection Commission
12	13	14	
Not applicable	For confirmation only. 1. Head of the Postal Accounts Office—Chairman 2. Officer-in-charge of the Administration—Member 3. One Senior Officer to be nominated by the Head of the Office—Member	Not applicable	

1	2	3	4
4. Lower Division Clerk	1943(*) (2001) (*) Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590
5	6	7	
Not applicable	No	Between 18 and 27 years (Relaxable upto 35 years for departmental candidates). Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	
8	9	10	11
Matriculation or equivalent and knowledge of typewriting with a minimum speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi.	No	2 years	(a) By direct recruitment through Staff Selection Commission—50% (b) By promotion on passing the specified departmental examination— (i) Sorters—10% (ii) Group D employees—5% (c) By promotion on passing the limited competitive examination, for Matriculate Sorters and Matriculate Group D employees—5% (d) By promotion on seniority-cum-fitness basis—30%.
12	13	14	
Promotion : (a) Departmental Examination: Sorters and Group D employees on passing the departmental examination specified by the Director General (Posts). (b) Seniority-cum-fitness basis: Sorters with 5 years of service in the grade, rendered after appointment thereto on regular basis and who have passed 8th standard.	1. Head of the Postal Accounts Office—Chairman 2. Officer-in-charge of the Administration—Member 3. One Senior Officer to be nominated by the Head of the Office—Member	Not applicable	
Note 1: When juniors who have completed the eligibility period are considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have completed their probation. Note 2: Departmental candidates promoted on seniority-cum-fitness basis should pass the prescribed type test with a minimum speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi.			

1	2	3	4
5. Sorter	592(*) (2001) (*)Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'C' Non-Gaz. tted- Ministerial	Rs. 2750-70-3800-75-4400
5	6	7	
Not applicable	No	Between 18 and 27 years of age (relaxable upto 35 years in the case of departmental candidates). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	
8	9	10	11
Studied upto Matriculation or equivalent standard.	Not applicable	2 years	(a) By Direct recruitment—50 % (b) By promotion of Group 'D' employees on passing the specified departmental examination—20%. (c) By promotion of Group 'D' employees on seniority cum-fitness basis—25%. (d) By promotion of Matriculate Group 'D' employees on seniority-com-fitness basis—5%
	12	13	14
	(a) Promotion by departmental examination Group 'D' employees on passing the departmental examination, specified by the Director General (Posts). (b) Promotion on seniority-cum-fitness basis: Group 'D' employees with 5 years of service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and who have studied upto 8th standard. Note : When juniors who have completed the eligibility period are considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have completed their probation.	1. Head of the Postal Accounts Office—Chairman 2. Officer-in-charge of the Administration—Member 3. One Senior Officer to be nominated by the Head of the Office—Member	Not applicable.

[No. 1(1)/2001-PA Admn.I]

S.C. AGRAWAL, Asstt. Director General (Postal Accounts Administration)